

मंत्र-परिषद ने दी 17 हजार 971 करोड़ से अधिक लागत की जल प्रदाय योजना की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

27 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में मंत्र-परिषद द्वारा जल जीवन मशिन के क्रयान्वयन के लिये 17 हजार 971 करोड़ 95 लाख रुपए लागत की प्रस्तावित 23 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं तथा एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्र-परिषद ने 10x40 मेगावाट महेश्वर जल वित्तीय परियोजना, जिला खरगोन के संबंध में समन्वय में मुख्यमंत्री से प्राप्त नदियों का अनुसमर्थन किया।
- महेश्वर जल वित्तीय परियोजना से वित्तीय कर्य हेतु तत्कालीन मध्य प्रदेश वित्तीय मंडल (वर्तमान में एमपीपीएमसीएल) द्वारा क्रमशः 11 नवंबर, 1994 एवं 27 मई, 1996 को मेसर्स श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल) के साथ नदियां वित्तीय कर्य अनुबंध एवं इस अनुबंध के संशोधन को नरिस्त किये जाने का नरिणय लिया गया।
- मेसर्स एसएमएचपीसीएल एवं वित्तीय मंडल (वर्तमान में एमपीपीएमसीएल) के मध्य परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्यों के संबंध में 24 फरवरी, 1997 को नदियां वित्तीय अनुबंध को नरिस्त किया गया।
- मेसर्स एसएमएचपीसीएल द्वारा महेश्वर परियोजना के वित्ति पोषण हेतु जारी किये गए 400 करोड़ रुपए के ओएफसीडी हेतु पीएफसी द्वारा दी गई गारंटी के परिप्रेक्ष्य में अमेंडेटरी एंड रसिटेटेड एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन द्वारा पीएफसी के पक्ष में दी गई काउंटर गारंटी को नरिस्त किया गया।
- पीएफसी, मेसर्स एसएमएचपीसीएल इत्यादिके साथ 16 सितंबर, 2005 को नदियां वित्तीय अमेंडेटरी एंड रसिटेटेड एग्रीमेंट (ए. एंड आर. अनुबंध) को मेसर्स एसएमएचपीसीएल द्वारा किये गये डिफाल्ट्स के दृष्टिगत नरिस्त किया।
- मेसर्स एसएमएचपीसीएल के साथ 27 मई, 1996 को नदियां वित्तीय इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट एवं उनके वित्तीय देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई गारंटी को नरिस्त किया गया।
- महेश्वर परियोजना के क्रयान्वयन में आ रही कठिनाईयों के नरिकरण हेतु गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष द्वारा परियोजना के नरिकरण हेतु सुझाए गए द्वितीय वकिल्प यथा प्रकरण का नरिकरण पीएफसी द्वारा एनसीएलटी में प्रस्तुत की गई आईबीसी पटिशन में होने दिया जाये, को स्वीकार किये जाने का नरिणय लिया गया।
- मंत्र-परिषद ने 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने न्यूनतम परियोजना सीमा को एक लाख से कम कर 50 हजार रुपए किये जाने का नरिणय लिया।
 - योजना में अब हतिग्राही को ब्याज अनुदान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। वनरिमाण इकाई 50 लाख रुपए से अधिक होने अथवा सेवा/खुदरा व्यवसाय इकाई 25 लाख रुपए से अधिक होने पर भी योजना में परियोजनाएँ स्वीकार की जाएगी, जिसमें बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति की दशा में हतिग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 50 लाख अथवा 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर ही प्राप्त हो और ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी यथानुपात आधार पर हो। बैंक द्वारा दिया गया पूरा ऋण कोलेटरल फ्री होना चाहिये।
 - मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अरहता एवं वित्तीय सहायता के लिये आयु सीमा मूलतः 18 से 40 वर्ष रखी गई थी, जिसको संशोधित कर अब 18 वर्ष से 45 वर्ष करने के आदेश का अनुमोदन किया गया।